बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0– भ/भू–सम्पदा–09–02–(अराजपत्रित)–01/2024– 42 पटना, दिनांक– 05/5/25

'कार्यालय आदेश'

पूर्वादेश को विखंडित करते हुए में निम्नांकित कर्मचारियों को उनके नाम के सामने अंकित आवास आदेय किराया एवं अनुमान्य करों के भुगतान की शर्त्त पर आवास अधिग्रहण की तिथि से आवंटित किया जाता है :–

क्र0	Reg. No.	नाम/पदनाम	विभाग	आवंटन हेतु प्रस्तावित आवास
1.	BN8013	श्री अनीस कुमार, चालक	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	A3/406, गर्दनीबाग
2.	BN4861	श्री अनील कुमार, चालक	भवन निर्माण विभाग	188/800, 800 सेट, शस्त्रीनगर
3.	BN5475	श्री राजेश कुमार सिंह, कार्यालय परिचारी	वित्त विभाग	83/400, 400 सेट, राजवंशीनगर
4.	BN7978	श्री टिंकु कुमार मंडल, चालक	सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	A1/308, गर्दनीबाग
5.	BN7880	श्री श्रवण कुमार राउत, कार्यालय परिचारी	सामान्य प्रशासन विभाग	A2/416, गर्दनीबाग

2. आवंटित आवासों को संबंधित कार्यपालक अभियंता प्राथमिकता के आधार पर उसकी मरम्मति कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. यदि भविष्य में ज्ञात होता है कि गलत सूचना के आधार पर किसी अपात्र कर्मी को आवास आवंटित हो गया है तो संज्ञान में आते ही उक्त आवास आवंटन को रद्द किया जाएगा तथा ऐसे आवंटी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में विभाग अपने स्तर से कार्रवाई करेगा।
4. आवंटी संबंधित कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता से संपर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार 30 दिनों के अन्दर ग्रहण करेंगे। 30 दिनों के अन्दर आवास स्वीकार नहीं करने की स्थिति में आवंटन स्वतः रद्द माना जायेगा।
5. स्थानान्तरण या अन्य कारणों से पटना स्थित पात्र कार्यालय में पदस्थापन की अवधि समाप्त होने पर उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जाएगा और उनसे सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम–11(2) में विहित प्रावधानों के अनुसार मानक/दण्ड किराया लिया जाएगा तथा नियमानुसार निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी।
6. पटना से बाहर स्थानांतरण के उपरांत आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि मात्र 1 (एक) माह है। उक्त अवधि के पश्चात मानक किराया का 30 गुना प्रति माह की दर से दण्ड किराया वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की भी कार्रवाई की जायेगी।
7. अगर पटना में आवासी का कोई अपना मकान हो तो आवास आवंटन नियमावली, 1986 के प्रावधान के अनुसार इस संबंध में वे तदनुसार, कार्यपालक अभियंता, कर प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग को आवास अधिग्रहण की स्थिति में सूचित करेंगे।

8. विभागीय आदेश सं0–3473, दिनांक–30.04.2024 के आलोक में गर्दनीबाग में नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसर के कॉमन एरीया का साफ–सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट, डब्ल्यू0टी0पी0, एस0टी0पी0, जेनरेटर आदि का परिचालन में होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर मानक किराया के साथ अतिरिक्त मासिक मेंटेनेंश चार्ज भी लिया जायेगा जो निम्नवत है :–

क्र0	आवास का टाईप	मसिक मानक किराया (रूपया में)	मासिक मेंटनेन्स चार्ज (रूपया में)	प्रति आवास कुल मासिक कटौती (रूपया में)
1.	ए–टाईप आवास, गर्दनीबाग	275	564	839

उपर्युक्त मासिक चार्ज को संबंधित आवासी के विभाग द्वारा प्रतिमाह मानक किराया के साथ ही वेतन से कटौती की जायेगी।

9. सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।

10. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(शिव रंजन)
उप सचिव–सह–भू–सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांकः–भ/भू–सम्पदा–09–02–(अराजपत्रित)–01/2024 3942(अ) पटना, दिनांकः– 05/5/25

प्रतिलिपिः–सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता(पटना)/कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, दानापुर, पटना/कर प्रमण्डल/विद्युत कार्य प्रमण्डल सं0–1 एवं 03/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/निदेशक (तकनीकी), एन.आई.सी/सभी संबंधित आवंटी कर्मचारी/आई.टी.मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव–सह–भू–सम्पदा पदाधिकारी।